न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 212/2021

उनवान

1. बदी पत्नि पुंजा जाति भील निवासी चौहानमाता तहसील अरथूना जिला बांसवाडा

—: वादी।

बनाम

1. पुंजा पिता खातु जाति भील निवासी चौहानमाता तह. अरथूना जिला बांसवाडा।
2. सूर्या पत्नि पूंजा जाति भील निवासी चौहानमाता तह. अरथूना जिला बांसवाडा।
3. तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः२५.५.2025

वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कब्जे शुदा कृषि भूमि सर्वे नम्बर 3036/13 रकबा 0.16 हे. भूमि वाके ग्राम भानो का पारडा पटवार हल्का सारनपुर तहसील अरथूना जिला बांसवाडा में स्थित है। जिस पर वादीया एवं उसके पुत्र ईश्वर, पुनिया, नानु बरसो से काबिज होकर काश्त एवं उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का कभी भी कब्जा अथवा काश्त नहीं रहा है। उक्त सर्वे नम्बर पर वादीया का अपना कच्चा मकान बनाकर एवं परिवार के साथ वर्षो से निवास कर रही है। वादीया प्रतिवादी संख्या 01 की विवाहित पत्नि है तथा प्रतिवादी संख्या 02 वादीया की सौतन है अर्थात् प्रतिवादी संख्या 01 की दूसरी पत्नि है। प्रतिवादी संख्या 01 आदत्न शराबी प्रवृति का व्यक्ति है जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 02 प्रतिवादी नम्बर 01 से मिलकर वादीया को उक्त भूमि से बेदखल कर बेचने आमादा है। जिस कारण प्रतिवादीगण को उक्त भूमि को विक्रय करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोकना अति आवश्यक है। उक्त भूमि पर वादीया एवं उसके पुत्रो का लगातार कब्जा रहा है एवं वादीया एवं उसके पुत्र ही उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त भूमि गैरखातेदारी दर्ज रिकार्ड है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर वादीया को धोखे में रखकर उक्त भूमि को अपने नाम से गलत रूप से आवंटन करवा लिया है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने दिनांक 23.11.2016 को उक्त भूमि में से साईज 60X90 फीट भूमि को [illegible] व्यक्ति को बेचान कर विक्रयनामा प्रतिवादीगण द्वारा निष्पादित कर दिया है। जानकारी होने पर वादीया एवं उसके पुत्र पुनिया, नानु, ईष्वर द्वारा रूपया 1,00,000/– अक्षरे एक लाख भी भगवान थोरी को देकर उक्त भूमि को छुडवाया गया। उक्त भूमि के चारो तरफ बाउण्ड्री बनाने

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:29:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हेतु वादीया के निजी पत्थर पडे हुए है तथा उक्त भूमि पर वादीया का वर्षो से कब्जा होकर उपयोग और उपभोग करती चली आ रही है। इसलिए वादीया को वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार घोषित करने, उक्त भूमि को प्रतिवादीगण खुर्द बुर्द व रिकार्ड में हेरफेर नहीं करे तथा राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियों की गई त्रुटी को दुरस्त किये जाने बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री पवन लुहार अभिभाषक का वकालतनामा पेष हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु समुचित समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया। पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत की गई। वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई। पत्रावली प्रतिवादीगण की साक्ष्य हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा भी साक्ष्य पेश नही की गई।

पत्रावली में दोनो पक्षो के अभिभााषको की बहस सुनि गई। वादी अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया की वाद ग्रस्त भूमि पर वादीया व उसके पुत्रो का कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगर कर अपने नाम से पेपर आवंटन करवा ली है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 इस भूमि बेच कर पेसे हडपना चाहते है। पूर्व में भी प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का एक हिस्सा भगवान थोरी नामक व्यक्ति को बेच दिया था जिसे वादीया के पुत्रो ने 1,00,000/- रूपया देकर छुडाया था। उक्त भूमि पर वादीया का मकान बना हुआ है। इसलिए वादीया को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को आवंटन शुदा भूमि है। जिस पर वादीया का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। वादीया का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया जाकर दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया गया। वादीया द्वारा केवल वाद एवं वाद के संलग्न प्रस्तुत राजस्व अभिलेख (जमाबंदी) संवत 2077 पेश कर वादग्रस्त भूमि में खातेदार घोषित होना चाहती है। वादीया द्वारा अन्य कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे न्यायालय वादीया को खातेदार घोषित करने पर विचार करें। लिहाजा वादीया अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रही है। अतः वादीया वाद वादीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.1.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:39:30 IST
Reason: SelfAttested

(श्रवण सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 212/2021

उनवा

1. बदी पत्नि पुंजा जाति भील निवासी चौहानमाता तहसील अरथूना जिला बांसवाडा

—: वादी।

बनाम

1. पुंजा पिता खातु जाति भील निवासी चौहानमाता तह. अरथूना जिला बांसवाडा।
2. सूर्या पत्नि पूंजा जाति भील निवासी चौहानमाता तह. अरथूना जिला बांसवाडा।
3. तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक:२५.५.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद वादीया के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक२५.५.2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:29:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner